हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 108

बुधवार, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 2925 से 2933 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 2934 से 2940 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1253 से 1256 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

प्रश्नकाल समाप्त होते ही डॉ0 राजीव बिंदल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि भारत सरकार की नई योजना **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रारूप बनाए जा रहे हैं। इस के लिए पंचायती राज संस्थाओं के भी सुझाव लिए जा रहे हैं तथा प्रदेश सरकार इन प्रारूपों को केन्द्र सरकार को भेज रही है। इन प्रारूपों को तैयार करते समय माननीय विधायकों के सुझावों को नहीं लिया जा रहा है जो खेद का विषय है। उनकी बात का समर्थन करते हुए प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसमें माननीय विधायकों के सुझाव लेना अति आवश्यक है ताकि भारत सरकार से प्रदेश को अधिक से अधिक धन उपलब्ध हो।

इस पर माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार इस के ऊपर अवश्य विचार करेगी।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय वन मन्त्री ने भेड़ व बकरी को जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान के मामले में सरकार द्वारा दी जा रही राहत राशि की दर के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया।

2. **कागज़ात सभा पटल पर :**

(1) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री** ने बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 36(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बालक अधिकार संरक्षण राज्य आयोग नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएसजेई-ए-ए(3)-4/2014 दिनांक 05.02.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.02.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. **सदन की समितियों के प्रतिवेदनः**

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **55वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्याः2) के पैरा संख्याः 3.8 व 3.9 की संवीक्षा पर आधारित है तथा **हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम समिति** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(2) **श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2015-16)** ने समिति का **18वां प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा पटल पर रखी।

12-08 PM

4. **नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव :**

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा कीः-

"**ज़िला कुल्लू के मनाली व इसके साथ लगते अन्य पर्यटक स्थलों में समस्त पर्यटन गतिविधियों के बन्द होने**" से उत्पन्न स्थिति।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः

1. श्री जय राम ठाकुर
2. श्री महेश्वर सिंह

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय मुख्य मन्त्री ने उत्तर दिया।

(अपराह्न 1.20 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.20 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.20 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

5. <u>वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानः सामान्य चर्चा</u>

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया :-

1.) श्री गुलाब सिंह ठाकुर
2.) श्री सोहन लाल, मुख्य संसदीय सचिव
3.) श्री जय राम ठाकुर
4.) श्री किशोरी लाल
5.) श्री रिखी राम कौंडल
6.) श्री मनसा राम, मुख्य संसदीय सचिव
7.) डॉ0 राजीव सैजल

(सांय 5.00 बजे सदन की बैठक सांय 6.00 बजे तक बढ़ाई गई)

8.) श्री बम्बर ठाकुर
9.) श्री इन्द्र सिंह

(सांय 6.00 बजे सदन की बैठक सांय 6.45 बजे तक बढ़ाई गई)

10.) श्री राम कुमार
11.) श्री विनोद कुमार

(सांय 6.45 बजे सदन की बैठक सांय 7.00 बजे तक बढ़ाई गई)

12.) श्री मोहन लाल ब्राक्टा

(सदन की बैठक सांय 7.00 बजे वीरवार, दिनांक 17 मार्च, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)